


प्रशासनिक आदेश संख्या: 500

दिनांक: 10 नवम्बर, 2023

जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या 3516/न्याय-अनुभाग/नामिका अधि0/2023, दिनांक 09-11-2023 के द्वारा जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की में जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) के रिक्त 01 पद पर आबद्ध किये जाने हेतु विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर 7.03 के अन्तर्गत अधिवक्तागण की उपयुक्तता एवं गुणावगुण के सम्बन्ध में पैनल उपलब्ध कराने हेतु सुश्री अंजुश्री जुयाल, प्रथम अपर जिला जज, हरिद्वार, श्री अनिरुद्ध भट्ट, तृतीय अपर जिला जज, हरिद्वार एवं श्री राजू कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर जिला जज, हरिद्वार की 03 सदस्य समिति का गठन किया जाता है। कमेटी इस जजशिप में कार्यरत पीठासीन अधिकारियों से उक्त पत्र में उल्लिखित अधिवक्तागण के विधिक व आचरण के सम्बन्ध में आख्याएं 7 दिनों के भीतर प्राप्त करें।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय, जजशिप हरिद्वार के समस्त न्यायालयों से विधिक एवं व्यावहारिक ज्ञान के सम्बन्ध में आख्याएं एवं अन्य प्रपत्र समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त समिति अन्दर 03 दिन अपनी आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


1. सुश्री अंजुश्री जुयाल, प्रथम अपर जिला जज, हरिद्वार।
2. श्री अनिरुद्ध भट्ट, तृतीय अपर जिला जज, हरिद्वार।
3. श्री राजू कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर जिला जज, हरिद्वार।


10/11/23

(सिकन्द कुमार त्यागी)
जिला न्यायाधीश, हरिद्वार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रथम अपर जिला जज, हरिद्वार।
2. तृतीय अपर जिला जज, हरिद्वार।
3. चतुर्थ अपर जिला जज, हरिद्वार।


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासनिक कार्यालय,
जिला न्यायालय, हरिद्वार।